



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)
U.P. POWER CORPORATION LIMITED
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
14-अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ।
CIN: U32201UP1999SGC024928

संख्या-1134-अ0प्र0-07/पाकालि/21-25-अ0प्र0-07/20

दिनांक 27/03/2021

कार्यालय ज्ञाप

अवर अभियन्ता (वै0 एवं यां0) से सहायक अभियन्ता (वै0 एवं यां0) के पद पर 40% सम्प्रति 41.10% प्रोन्नति कोटे के अन्तर्गत प्रोन्नति सम्बन्धी कार्यवाही में पूर्वाचल विद्युत वितरण निगम लि0 में कार्यरत श्री महेन्द्र कुमार (वरि0क्र0-08/CEH/48), अवर अभियन्ता के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही लम्बित/प्रचलित नहीं होने की प्राप्त सूचना के दृष्टिगत नियमानुसार श्री महेन्द्र कुमार (वरि0क्र0-08/CEH/48), अवर अभियन्ता को सहायक अभियन्ता के पद पर कारपोरेशन कार्यालय ज्ञाप सं0-1101-अ0प्र0-07/पाकालि/21-25-अ0प्र0-07/20, दिनांक 25.03.2021 के क्र0सं0-03 पर इनको ऑन सीट प्रोन्नति प्रदान की गयी एवं अभिज्ञान सं0-2020384 आवंटित की गयी।

वर्तमान में मुख्य अभियन्ता (प्रशा0), पूर्वाचल वि0वि0नि0लि0 के पत्रांक-785/पूर्विविनिलि(वा0)/अनु0कार्य0/ई-3/अदेयता, दिनांक 27.03.2021 द्वारा अवगत कराया गया है कि श्री महेन्द्र कुमार (वरि0क्र0-08/CEH/48) के विरुद्ध आरोप पत्र सं0-48/पूर्विविनिलि(वा0)/अ0जॉ0स0-2/(08/19), दिनांक 30.08.2019 निर्गत कर जांच की कार्यवाही प्रचलित है।

सूचनीय है कि पूर्ववर्ती उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद के परिषदादेश सं0-1849-का0वि0नि0, दिनांक 08.10.1997 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं0-13/21/89-क-1/1977, दिनांक 28.05.1997, जो उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 में भी प्रभावी है, के प्रस्तर-(11) में निम्नवत व्यवस्था प्राविधानित है कि :-

“यदि किसी कार्मिक को प्रोन्नति के लिए चयन समिति द्वारा संस्तुति की जा चुकी हो, परन्तु प्रोन्नति के आदेशों के क्रियान्वयन के पूर्व खण्ड(2) में उल्लिखित कोई ऐसी बात सामने आ जाय, जो यदि चयन के समय चयन समिति के समक्ष होती तो चयन समिति की संस्तुति को मोहरबन्द लिफाफे में रखा जाना आवश्यक होता, सम्बन्धित कार्मिक को प्रोन्नत नहीं किया जायेगा और ऐसी कार्यवाही के अन्तिम परिणाम प्राप्त होने पर उसके सम्बन्ध में चयन समिति की संस्तुति को इस कार्यालय ज्ञाप में दिये गये उपबन्धों के अधीन उसी प्रकार से क्रियान्वित किया जायेगा, मानो इसके विषय में चयन समिति की संस्तुति को मोहरबन्द-लिफाफा में रखा गया हो।”

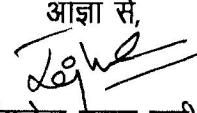
- 2 उपरोक्त के दृष्टिगत श्री महेन्द्र कुमार (वरि0क्र0-08/CEH/48), अवर अभियन्ता के विरुद्ध उपरोक्त वर्णित अनुशासनिक कार्यवाही प्रचलित होने के दृष्टिगत कार्यालय ज्ञाप सं0-1101-अ0प्र0-07, दिनांक 25.03.2021 में 40% सम्प्रति 41.10% प्रोन्नति कोटे के अन्तर्गत क्र0सं0-03 पर श्री महेन्द्र कुमार को सहायक अभियन्ता के पद पर प्रदान की गयी प्रोन्नति एवं इनको आवंटित अभिज्ञान सं0-2020384 को एतद्वारा निरस्त किया जाता है एवं इनका प्रोन्नति का प्रकरण मोहरबन्द क्रियान्वित माना जाता है।
- 3 उपर्युक्त कार्यालय ज्ञाप सं0-1101-अ0प्र0-07, दिनांक 25.03.2021 में वर्णित अन्य नियम/शर्तें यथावत लागू रहेगी।

अध्यक्ष

संख्या :-1134-अ0प्र0-07/पाकालि/2021/तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
4. निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0), उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
5. प्रबन्ध निदेशक, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी।
6. मुख्य अभियन्ता (जानपद पारेषण-प्रथम/द्वितीय), उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0, लखनऊ।
7. मुख्य अभियन्ता एवं महानिदेशक (प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन विकास), विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, उ0प्र0 पा0का0लि0, सरोजनी नगर, लखनऊ को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि वे उपरोक्त अधिकारियों का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित कराने हेतु अवश्य व्यवस्था करें।
8. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को पत्रांक-201-अनु0-01/सहा0अभि0(पदो0), दिनांक 02.03.2021 द्वारा प्रेषित छान समिति की आख्या के सन्दर्भ में।
9. मुख्य अभियन्ता (कम्प्यूटराइजेशन इकाई), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
10. उपमहाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
11. उप सचिव (अ0प्र0-03/04/गोपन), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
12. अधिशासी अभियन्ता (वेब), उ0प्र0पा0का0लि0 शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
13. लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
14. अनुभाग अधिकारी (अ0प्र0-03/04), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ को वैयक्तिक पत्रावली हेतु।
15. संबंधित अधिकारीगण।
16. गार्ड फाइल/कट फाइल।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र कुमार वर्मा)
उप सचिव (07)